



2026:AHC:43326
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - सी संख्या 2293 वर्ष 2026

स्नेहलता सिंह और एक अन्य
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : लाल मणि सिंह
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. इस याचिका में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, निजी प्रत्यर्थियों को नोटिस भेजकर इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखना उचित नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी पक्षकार आदेश से असंतुष्ट हैं, तो उन्हें आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील पडरौना, जिला कुलशीनगर को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 209 (जेए) के अंतर्गत दिनांक 17.11.2020 के बाद संख्या टी-201905440105365 (स्नेहलता सिंह और अन्य बनाम विल्शंभर साही और अन्य) का शीघ्रता से निस्तारण करने का निर्देश दिया जाए।
4. यह मामला प्रत्यर्थी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील पडरौना, जिला कुलशीनगर के समक्ष लंबे समय से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील पडरौना, जिला कुलशीनगर को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त मामले में दायर वाद संख्या टी201905440105365 का निर्णय विधि के अनुसार, अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर करें, जब तक कोई विधिक बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

23 फरवरी, 2026
विनोद
(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"